न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
91/2022	19.10.2022	15.04.2026

1. रामदयाल पुत्र कुन्जा गुर्जर निवासी करीरा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0

——प्रार्थी

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र बद्री गुर्जर निवासी करीरा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0
2. ओमप्रकाश पुत्र बद्री गुर्जर निवासी करीरा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0
3. तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री रमेश चन्द तेहरिया अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी रामदयाल पुत्र कुन्जा गुर्जर निवासी करीरा कलां तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0टी0एक्ट 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—
   - प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 196/116 रकबा 6—15 बीघा वाके ग्रम करीरा कलां में स्थित है।
   - प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर जाने हेतु रास्ता मुख्य रास्ता से खसरा नम्बर 194/116 रकवा 6 बीघा 15 बिस्वा के मेड में होकर अपने पूर्वजो के समय से कदमी रास्ता के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 196/116 पर आने—जाने का रास्ता बना हुआ है। जिसमे होकर प्रार्थी अपने खेत पर बने ट्यूब वेल चाह बना हुआ है व फसल सोयाबीन व धान की खड़ी हुई थी। जिसे काटकर वर्तमान मे सरसो कि फसल बोई है। उक्त रास्ता करीब 15 फीट चौड़ा बना हुआ है। जिसी मे जाकर मैंने सरसो बोई थी।
   - प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से नक्शा ट्रेस के आधार पर बने रास्ते का उपयोग अपने पूर्वजो के समय से करते आ रहे हैं, जिसमे खसरा नम्बर 194/116 मेड के बराबर से रास्ता निकल रहा है जिसके द्वारा हम हमारे खेत खसरा नम्बर 196/116 तक पहुंचते हैं, परंतु अप्रार्थीगण ने उनकी आराजी खसरा नम्बर 194/116 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा जिस पर अपने खेत मे रास्ते को मिलाकर बीच रास्ते को खेत मिलाकर मेड अवैध रूप से बना दी है। एवम् हमारे खेत कि जुताई बुआई करने जाते है तो मना करते है।
   - अप्रार्थीगण दो लगायत तीन के मन में बदयांती आ जाने से दिनांक 15—10—2022 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 196/116 [illegible] का व उपयोग उपभोग का एकमात्र रास्ता है परंतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने रास्ते को अपने खेत मे मिलाकर अवैध रूप से मेड बना दी है। जो कि मेरा आने जाने का एकमात्र रास्ता पूर्णतः बंद कर रास्ते को अपने खेत में मिला लिया है व रास्ते का निशान मिटा दिया है जबकि प्रार्थी को खसरा नम्बर 194/116 [illegible] मेरे खेत 196/116 तक जाने मे इसके अलावा अन्य कोई अवरोध नही है परंतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 अपने आराजी खसरा नम्बर 194/116 की मेड मे होकर रास्ता नही दे रहे है इसलिये वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा(1) की अनुज्ञा के लिये आवेदन है, नक्शा रास्ता ट्रेस में लाल लाइन से प्रदर्शित है।

- प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से नक्शा ट्रेस के आधार पर बने रास्ते का उपयोग अपने पूर्वजो के समय से करते आ रहे हैं, जिसमे खसरा नम्बर 194/116 मेड के बराबर से रास्ता निकल रहा है जिसके द्वारा हम हमारे खेत खसरा नम्बर 196/116 तक पहुंचते हैं, परंतु अप्रार्थीगण ने उनकी आराजी खसरा नम्बर 194/116 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा जिस पर अपने खेत मे रास्ते को मिलाकर बीच रास्ते को खेत मिलाकर मेड अवैध रूप से बना दी है। एवम् हमारे खेत कि जुताई बुआई करने जाते है तो मना करते है। एवम् उपयोग उपभोग करने मे दखल अनदाजी पैदा करते है। इसलिये वादी को राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उपधारा (1)की अनुज्ञा के लिये आवेदन है, नक्शा रास्ता ट्रेस में लाल लाइन से प्रदर्शित है, के अनुशार बादी को प्रतिबादीगण से रास्ता दिलबाया जाना न्याय हित मे होगा।
- अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 196/116 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की आराजी 194/116 की मेड के सहारे सहारे 15 फीट का रास्ता डी0 एल0 सी0 रेट पर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगणो उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त विवादित भूमि का तहसीलदार खण्डार से मौका रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जो पत्रावली में संलग्न है।
3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान बताया गया है कि प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर जाने हेतु रास्ता मुख्य रास्ता से खसरा नम्बर 194/116 रकवा 6 बीघा 15 बिस्वा के मेड में होकर अपने पूर्वजो के समय से कदमी रास्ता के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 196/116 पर आने-जाने का रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से नक्शा ट्रेस के आधार पर बने रास्ते का उपयोग अपने पूर्वजो के समय से करते आ रहे हैं, जिसमे खसरा नम्बर 194/116 मेड के बराबर से रास्ता निकल रहा है जिसके द्वारा हम हमारे खेत खसरा नम्बर 196/116 तक पहुंचते हैं, परंतु अप्रार्थीगण ने उनकी आराजी खसरा नम्बर 194/116 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा जिस पर अपने खेत मे रास्ते को मिलाकर बीच रास्ते को खेत मिलाकर मेड अवैध रूप से बना दी है। प्रार्थी को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 196/116 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की आराजी 194/116 की मेड के सहारे सहारे 15 फीट का रास्ता डी0 एल0 सी0 रेट पर उपलब्ध कराने की कृपा करे।
4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 196/116 में पहुचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 64 रकबा 0.14 [illegible] गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है जो खसरा नम्बर 196/116 से लग[illegible] 2 [illegible]किलोमीटर की दूरी पर है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में अंकित [illegible] है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर 196/116 पर आने-जाने हेतु खसरा नम्बर [illegible]/116 के मेड से होकर कदीमी रास्ता अपने पूर्वजों के समय से 15 फीट चौड़ा रास्ता [illegible]ना हुआ है, जिसके द्वारा प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 196/116 पर आता-जाता रहा है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के खसरे नम्बर 196/116 में पहुंच हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 194/116 मे से रास्ता चाहा गया है। उक्त दोनो खसरों की नक्शा शीट में पुख्ता तरमीम नहीं। क्योंकि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

नम्बर 196/116 की नक्शा शीट में तरमीम नहीं इसलिए यह तय किया जाना संभव नही है कि मौके पर रिकॉर्डेड/चालू रास्ते से धारा 251 क के तहत सबसे कम दूरी का रास्ता किन खसरों से गुजरता है। ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है जिससे खसरा नम्बर 196/116 की मौका स्थिति स्पष्ट हो सकें। प्रार्थी द्वारा मद नम्बर 8 में अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में रास्ते को मिला दिया एंव प्रार्थी खेत कि जुताई–बुआई करने जाते है तो मना करते है।

" धारा 251 के तहत मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार.– (1) किसी भू–धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक क्रम में भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाल जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू–धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक– आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा "

इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों अनुसार आराजी पर पहुंच हेतु कदमी रास्ता रहा है। धारा 251 के तहत मार्गधिकार के उपभोग विघ्न डाले जाने के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इस न्यायालय को नये मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने की स्थिति में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251क के तहत श्रवण अधिकार प्राप्त है। फलस्वरूप विचाराधीन प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं तरमीम नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:52 IST
Reason: SelfAttested